



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU -560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 994 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval Number 994

विषय / Sub : एविएशन टरबाइन फ्यूल, टाईप के-50
Aviation Turbine Fuel, Type K-50

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स नुमालिगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, गोलाघाट, पंकाग्रान्त, पोस्ट नुमालिगढ़ रिफाइनरी प्रोजेक्ट, असम - 785 699, द्वारा स्वदेश में विकसित तथा उत्पादित "एविएशन टरबाइन फ्यूल, टाईप के-50", को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-994, दिनांक 06 मई 2003, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 994 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-994/1ए/2आर, दिनांक 21 नवंबर 2012 द्वारा संशोधन सहित नवीकरण जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक है।

This is to state that the "Aviation Turbine Fuel, Type K - 50, indigenously developed and produced by M/s Numaligarh Refinery Limited, Golaghat, Pankagrants, Post Numaligarh Refinery Project, Assam - 785 699, was issued with Type Approval Number: 994 vide Reference Number: CEMILAC/5070/TA-994, dated: 06th May 2003. Subsequently amendment cum renewal was issued vide Reference Number: CEMILAC/5070/TA-994 /1A/2R, dated: 21st November 2012 with its validity up to 31st December 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (एफ एंड एफ - एफ ओ एल), सेमिलैक, डी आर डी ओ, द्वारा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलूरु- 560 017, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (F&F-FOL), DRDO, CEMILAC, DRDO, C/o M/s Hindustan Aeronautics Limited, Foundry and Forge Division, Bengaluru – 560 017 three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-994, दिनांक 06 मार्च 2003 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-994, dated: 06th March 2003.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070 /टी.ए/TA-994/3R

दिनांक / Date : 27 December 2017

फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856

Ravi
K. G. J. R.

P. Jayapal

(पी. जयपाल / P. JAYAPAL)

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)